राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ. 3(ख)/डीपीसी/अलेसे–II/2018–19 / 2101 दिनांकः– 26/9/2018

कार्यालय आदेश

श्री राजेश कुमार वर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II मेरिट नं. 695 / 88 प्रथम नियुक्ति तिथि 30.08.1991 द्वारा श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II मेरिट नं. 705/88 प्रथम नियुक्ति तिथि 18.09.1991 से वेतन उन्नयन चाहा है।

प्रकरण में श्री राजेश कुमार वर्मा से प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। श्री वर्मा एवं श्री सुधीर कुमार दोनो ही 1988 बैच के कनिष्ठ लेखाकार है तथा श्री राजेश कुमार वर्मा की प्रथम नियुक्ति तिथि श्री सुधीर कुमार की मूल नियुक्ति तिथि से पूर्व की है किन्तु श्री सुधीर कुमार बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में निर्णयाधीन नियुक्ति तिथि 18.09.1991 के स्थान पर 11.02.1991 कर दी गई थी।

श्री लावण्य कुमार, श्री प्रेम चन्द शर्मा, श्री सुधीर कुमार एवं श्री राजेन्द्र पारीक सभी (1988) बैच के कनिष्ठ लेखाकार प्रकरण में श्री लावण्य कुमार की प्रथम नियुक्ति तिथि 28.08.1991 है तथा अन्य तीन की नियुक्ति तिथि भी अगस्त 1991 ही है। इनकी राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में वर्ष 2002 में अपील संख्या क्रमशः 703 / 2002, 704 / 2002, 205 / 2002 एवं 706 / 2002 में माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 01.10.2009 के द्वारा आदेश दिए गए कि इनका वेतन श्री बाबूलाल बुनकर व अन्य के समान 11.02.1991 से नियत किया जावे। उक्त आदेशों के तहत श्री सुधीर कुमार का वेतन 11.02.1991 से नियत किया गया था। जो दृष्टान्त नहीं है। अतः माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसार वेतन नियतन के फलस्वरूप दिनांक 10.02.2009 से पूर्व अवधि का काल्पनिक लाभ दिया गया तथा 11.02.2009 के उपरान्त नियत वास्तविक लाभ दिया गया था। श्री राजेश कुमार वर्मा का वेतन उन्नयन माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार किए गए नियतन से तुलना योग्य नहीं होने के कारण श्री वर्मा की मांग स्वीकार योग्य नहीं है।

राजस्थान सेवा नियम के नियम 32 में प्रावधान है कि वरिष्ठ कार्मिक जिसने कनिष्ठ से पूर्व कार्यग्रहण किया है तथा मैरिट में भी कनिष्ठ से ऊपर है। ऐसे कार्मिको को ही वेतन उन्नयन का लाभ देय होता है। उक्त प्रकरण में श्री राजेश कुमार वर्मा ने न्यायालय के निर्णय के अनुसार कनिष्ठ कार्मिक से बाद में कार्यग्रहण किया है। अतः आवेदन के परीक्षण उपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रकरण में श्री राजेश कुमार वर्मा को कोई अतिरिक्त लाभ देय नहीं है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ. 3(ख)/डीपीसी/अलेसे–II/2018–19 / 2101 दिनांकः– 26/9/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षक कृपया पालना सुनिश्चित करावें।
2. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को पालनार्थ।
3. निजी सहायक निदेशक, महोदय।
4. निजी/गार्ड फाईल।
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट) हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

D:\SAS-II\sas-ii\Kamal ji\order